

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर

(जी.३, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स ०१४१-२२२२४०३, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : एफ.५९ डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.-सीलू-मीटिंग/१४/१३२९-८३ दिनांक : १२-०६-२०१५

बैठक कार्यवाही विवरण

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 को 11:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :-

- श्री पुरुषोत्तम वियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/ प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :-
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर
 - क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, अलवर
 - उप नगर नियोजक, उदयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर),
 - सहायक नगर नियोजक, बीकानेर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर)
 - सहायक नगर नियोजक, जोधपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर)

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

01.	प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या	97
02.	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	85
03.	अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने	11
04.	निगरानी अपील का निस्तारण	1

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 29.12.2014 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत् चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की कियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की इस बैठक में प्रथम बार भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का परीक्षण जी.आई.एस. तकनीक के माध्यम से ऑनलाईन सैटेलाईट ईमेज पर मास्टर प्लान व आवेदित स्थल को सुपर इम्पोज कर किया जा रहा है, ताकि मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके। साथ ही सभी नगर पालिकाओं के अधिकारियों को इस तकनीक को अपनाने/सीखने पर जोर दिया गया। समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु निम्नानुसार नगरीय निकायों को सामान्य निर्देश प्रदान किये गये कि:-

- (i) सभी नगरीय निकायों में लम्बित भू-उपयोग परिवर्तन तथा भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं द्वितीय बुधवार को स्थानीय स्तर पर बैठक का आयोजन सुनिश्चित किया जावे एवं इन दिवसों में अवकाश होने पर आगामी कार्यदिवस पर इस बैठक का आयोजन किया जावे, ताकि आम नागरिकों के कार्यों के निस्तारण के साथ-साथ नगरीय निकायों की राजस्व आय में भी वृद्धि हो सके। सप्ताह में स्थानीय स्तर पर बैठक आयोजित की जावेगी।
- (ii) राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक प्रत्येक माह में की जावेगी।
- (iii) भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन शुल्क का प्रावधान तो है, किन्तु भू-उपयोग परिवर्तन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अतः इस हेतु पृथक से प्रस्ताव तैयार किया जावे।
- (iv) समस्त नगरीय क्षेत्रों हेतु बनाये गये मास्टर प्लान क्षेत्र का सैकटर प्लान तैयार किया जावे विशेषतया परिधि नियंत्रण क्षेत्र में सैकटर रोड नेटवर्क प्लान बनाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं समिति में लिये गये निर्णयों के तहत प्रस्तावित सड़कों की मौके पर पालना सुनिश्चित की जावे।
- (v) समस्त आवासीय/शैक्षणिक/औद्योगिक उपयोग में ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज निस्तारण एवं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट व रीसाइकलिंग की व्यवस्था व आगन्तुकों हेतु शौचालय की निर्माण की पालना सुनिश्चित की जावेगी साथ ही बायो - टॉयलेट, एल.इ.डी., लाईटिंग एवं सोलर लाईटिंग के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जावेगा।
- (vi) नयी विकसित होने वाली आवासीय योजनाओं के सड़कों पर पैदल चलने वालों हेतु फुटपाथ व साईकिल ट्रैक की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।
- बैठक में प्रस्तुत एजेंडा एवं लिये गये निर्णयों का एजेंडावार कार्यवाही विवरण संलग्न है। उक्त कार्यवाही विवरण राज्य सरकार से अनुमोदित है।

14/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.-सीलू-मीटिंग/14/1329-४२ दिनांक : 12-6-2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
- निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन, संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग।
- मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर)।

14/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.-सीलू-मीटिंग/14/1329-४३ दिनांक : 12-06-2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

- वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एवं उप नगर नियोजक अलवर उप क्षेत्र।
- आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़, दौसा, गंगापुरसिटी, बून्दी, पाली, राजसमंद एवं झूंगरपुर।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), रावतसर, रायसिंह नगर, रत्नगढ़, पदमपुर, सरदारशहर, चाकसू, शाहपुरा (जयपुर), सादडी (पाली), सोजत, बेर्गूं, देवगढ़, पुष्कर, तिजारा, पीलीबांगा, निम्बाहेडा, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, नीम का थाना, विराटनगर, मुकुन्दगढ़, फुलेरा, भीनमाल, सुमेरपुर, बिलाड़ा, मांगरोल, भीण्डर, आमेट, बड़ी सादड़ी, सांभर लेक, राजगढ़ (चुरु), परबतसर, खैरथल एवं कपासन।

14/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.-सीलू-मीटिंग/14/1331-1338 दिनांक : 15/6/15-
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/अजमेर
उप नगर नियोजक,
अलवर क्षेत्र, अलवर।

विषय:- नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण एजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

X/15/15/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : एफ.59 डीएलबी/एसटीपी/एस.एल.सी.-सीलू-मीटिंग/14/1339-1389 दिनांक : 15/6/15-
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

- वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एवं उप नगर नियोजक अलवर उप क्षेत्र।
- आयुक्त, नगर परिषद, हनुमानगढ़, दौसा, गंगापुरसिटी, बून्दी, पाली, राजसमंद एवं छूंगरपुर।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नाथद्वारा, देवली, गंगापुर (भीलवाड़ा), रावतसर, रायसिंह नगर, रत्नगढ़, पदमपुर, सरदारशहर, चाकसू, शाहपुरा (जयपुर), सादडी (पाली), सोजत, बेगूं, देवगढ़, पुष्कर, तिजारा, पीलीबंगा, निम्बाहेड़ा, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, नीम का थाना, विराटनगर, मुकुन्दगढ़, फुलेरा, भीनमाल, सुमेरपुर, बिलाड़ा, मांगरोल, भीण्डर, आमेट, बड़ी सादड़ी, सांभर लेक, राजगढ़ (चुरू), परबतसर, खैरथल एवं कपासन।

X/15/15/06/2015
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
 (नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
 (जी-3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
 टेलीफौक्स 0141-2222403, ईमेल—stpdlb@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

बैठक उपस्थिति

नगर निगम/परिषद/पालिका से सम्बंधित भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डीएलबी/एसटीपी/एसएलसी/सीलू/14/01 दिनांक 11.12.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 को सभागार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर में प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण :—

क्र.सं.	नाम अधिकारी	नाम निकाय
1.	श्री पुरुषोत्तम बियानी	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
2.	श्री आर.के. विजयवर्गीय	वरिष्ठ नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग
3.	एस.एल. सेठी	वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर
4.	ओ.पी. पारीक	वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन, जयपुर
5.	एस. दनबत्ते दठडवते	वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा
6.	शशिकान्त	वरिष्ठ नगर नियोजक, अलवर
7.	अरविन्द सिंह कानावत	उप नगर नियोजक उदयपुर जोन
8.	मुकेश जांगिड़	सहायक नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग
9.	सुनिल चौहान	सहायक नगर नियोजक, जोधपुर
10.	सुरेश कुमार जैन	सहायक नगर नियोजक, न.प. बून्दी
11.	भूपेन्द्र कुमार	सहायक नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर
12.	श्रवण विश्नोई	कमिशनर, नगर परिषद, हनुमानगढ़
13.	प्राहलाद रवि वर्मा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. कपासन
14.	दिलीप शर्मा	आयुक्त, गंगापुर सिटी
15.	मोहन चन्द्र बंसल	आयुक्त, न.प. दोसा
16.	राम सिंह पालावत	न.प. पाली
17.	ओम प्रकाश शर्मा	न.पा. रतनगढ़
18.	ललित सिंह देया	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. निम्बाहेड़ा
19.	पूजा मीणा	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, फुलेरा
20.	रविन्द्र जैन	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. रायसिंहनगर
21.	भसमा राम जैन	कमिशनर एच.पी. डीपीआर
22.	गुरदीप सिंह	अधिशाषी अधिकारी न.पा. पीलीबंगा
23.	नरेश कुमार राठोर	अधिशाषी अधिकारी, बैंगू
24.	करणी सिंह सौदा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. आमेट
25.	आलोक चौधरी	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सादुलशहर
26.	अजय सिंह ढाकड़	सहायक अभियन्ता, नगर पालिका, रावतसर
27.	दीपक मीणा	सहायक अभियन्ता, नगर निगम, नाथद्वारा
28.	ममता नागर	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. शाहपुरा
29.	हरिनारायण यादव	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सांभर
30.	नवरत्न शर्मा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. चाकसू
31.	सोहनलाल	न.पा. श्रीकरणपुर
32.	शैलेन्द्र गोयल	न.पा. पदमपुर
33.	रूपसिंह चौहाण	एलडीसी, न.प. राजसमन्द
34.	सोम मिश्रा	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. सादड़ी
35.	नारायण दान	सहायक अभियन्ता, न.पा. सोजत
36.	जगदीश लाल	एलडीसी, न.पा. सोजत
37.	मोहन सिंह भाटी	कनिष्ठ लिपिक, न.पा. बड़ी सादड़ी
38.	गणपत लाल खटीक	अधिशाषी अधिकारी, न.पा. गंगापुर (भीलवाड़ा)

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नम्बर 01/एजेजेड/देवली

शहर/कस्बे का नाम	देवली
1. आवेदक का नाम	श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री सत्य नारायण, श्री संजय कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण, श्रीमति सरिता पत्नि श्री सतीश मंगल, श्रीमति रीना मंगल पत्नि श्री संजय कुमार
2. खसरा नं०/भूखण्ड नं० मय ग्राम कालोनी	राजस्व ग्राम देवली के ख.नं. 5474/4241, 5475/4241, 4242, 5476/4241, 5477/4241, 4238/4876, 4241
3. क्षेत्रफल	3.47 हैक्टेयर (8.57 एकड़)
4. संदर्भित भूमि का "लेण्ड यूज प्लान" में दर्शाया उपयोग	विशेष/व्यावसायिक अनुसंधान महाविद्यालय एवं संस्थान और आंशिक भाग औद्योगिक
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :—पूर्व बैठक दिनांक 12.08.2014 की कार्यवाही विवरण	<p>1. देवली मास्टर प्लान 2023 राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.02.2003 को अनुमोदित किया गया है। अतः मास्टर प्लान अनुमोदन से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। आवेदित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के पश्चिम दिशा की ओर अजमेर से देवली जाने वाली रोड़ पर स्थित है। मौके पर भूमि रिक्त है।</p> <p>2. नगर पालिका देवली द्वारा आवेदित भूमि के भू उपयोग परिवर्तन हेतु आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में संशोधित विज्ञप्तियों का प्रकाशन किया गया। प्रकाशित की गई विज्ञप्तियों के क्रम में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली के अनुसार आवेदित भूमि पुरानी अजमेर सड़क पर सी.आई.एस.एफ. परिसर के समीप अजमेर सड़क एवं जयपुर सड़क के मध्य स्थित है। सी.आई.एस.एफ. में आवासीय परिसर सीपित है। उक्त भूमि को देवली मास्टर प्लान के अनुसार व्यवसायिक महाविद्यालय हेतु प्रस्तावित स्थल में सम्मिलित की गई है। आवेदित भूमि औद्योगिक भूमि के समीप स्थित है। जहां पर कोई नियोजित आवासीय योजना विकसित नहीं है। जयपुर सड़क एवं अजमेर सड़क के मध्य अनियोजित विकास होने लगा है। उक्त क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र की आवश्यकता एवं नियोजित विकास की दृष्टि से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। उक्त क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए 40 फीट चौड़ी लिंक सड़क के रूप में प्रस्तावित कर उसका निर्माण करवाया जाना नगर विकास की दृष्टि से उचित रहेगा। मास्टर प्लान भू-उपयोग पी.सी. (विशेष/व्यवसायिक/अनुसंधान महाविद्यालय एवं संस्थान एवं आंशिक भाग औद्योगिक) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की अनुशंशा की जाती है।</p> <p>आर. के. विजयकर्मी वरिष्ठ नगर नियोजक</p> <p>विरिष्ठ नगर नियोजक अध्यधीन आवेदित भूमि का विशेष/व्यावसायिक अनुसंधान महाविद्यालय एवं संस्थान और आंशिक भाग औद्योगिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशंशा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का विशेष/व्यावसायिक अनुसंधान महाविद्यालय एवं संस्थान और आंशिक भाग औद्योगिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के विशेष/व्यावसायिक अनुसंधान महाविद्यालय एवं संस्थान और आंशिक भाग औद्योगिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के पश्चिम दिशा की ओर अजमेर से देवली जाने वाली रोड़ पर स्थित है। सड़क के केन्द्र से 100 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सड़क हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगा। योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। योजना में अर्फोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी-2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय की निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा। योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

	<p>सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग एवं रैन वाटर हार्डस्टोर स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।</p> <p>6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।</p> <p>7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>8. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-क की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।</p> <p>9. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>10. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>
9.	उपरोक्त तथ्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर की रिपोर्ट तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्मा
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 02/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/देवली

	शहर कर्से का नाम	देवली
1.	आवेदक का नाम	श्री शान्ति लाल पुत्र श्री देवी लाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं० 4203 रकबा 0.34 हैक्टेयर अर्थात् 3400 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	0.34 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आद्योगिक प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली के अनुसार वैध है।
7.	<u>प्रकरण के तथ्य :-</u>	<p>1. प्रश्नगत भूमि देवली नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 25.02.2003 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत भूमि अजमेर केकड़ी सड़क पर स्थित है। जिसमें पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार 150 फीट निर्धारित किया गया है। उक्त भूमि पर पत्थर कटिंग की इकाई स्थापित की जानी है।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में (पृष्ठ 30-31/सी) पर दिनांक 01.04.15 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रकरण में स्थानीय स्तर की भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 22.09.2011 में उपस्थित होकर आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8.	<u>प्रस्ताव :-</u>	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :—</p> <p>1. प्रश्नगत भूमि अजमेर केकड़ी सड़क पर स्थित है। जिसमें पहुंच मार्ग उपलब्ध होता है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार 150 फीट निर्धारित किया गया है। सड़क के केन्द्र से 75 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सड़क हेतु निःशुल्क समर्पित किया जावेगा।</p> <p>2. उद्योग स्थापित किये जाने से पूर्व उद्योग विभाग व राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।</p> <p>3. भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।</p> <p>4. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के प्रोत्साहन एवं ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।</p> <p>5. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।</p> <p>6. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।</p> <p>7. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।</p> <p>8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>9. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>
	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली एवं उप नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 03 / डीएलबी / एसटीपी / एजेजेड / देवली

	शहर कस्बे का नाम	देवली
1.	आवेदक का नाम	श्री आत्मा राम पुत्र श्री चतुर्भज मीणा
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं० 1177 रकबा 0.56 हैक्टेयर अर्थात् 5600 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	0.56 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आद्योगिक प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवली के अनुसार वैध है।
7.	<u>प्रकरण के तथ्य :-</u>	<ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भूमि देवली नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 25.02.2003 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित भूमि देवली से नगड़िया जाने वाली सड़क के पूर्व दिशा में लगभग 530' दूरी पर स्थित है। इस सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान देवली में 120'-150' प्रस्तावित है। अतः इस सड़क की चौड़ाई सड़क के मध्य बिन्दु से 75' रखते हुये तथा 60' का पहुंच मार्ग उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवली द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में (पृष्ठ 39-40/सी) पर दिनांक 01.04.15 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवली द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.02.09 की पालना सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
8.	<u>प्रस्ताव :-</u>	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के महेनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि देवली से नगड़िया जाने वाली सड़क के पूर्व दिशा में लगभग 530 फीट दूरी पर स्थित है। मुख्य सड़क से 530 फीट की दूरी तक के खातेदारों द्वारा 60 फीट चौड़ी सड़क हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः 60 फीट सड़क की सुनिश्चित स्थानीय स्तर पर की जानी होगी। उद्योग स्थापित किये जाने से पूर्व उद्योग विभाग व राजस्थान राज्य पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। भूखण्ड पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। <p>9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयबर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 04/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/देवली

शहर कस्बे का नाम	देवली
1. आवेदक का नाम	श्री तरुण पुत्र श्री रामचन्द्र मलिन्दा एवं श्रीमति ललिता मलिन्दा
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम हनुमाननगर के खसरा नं० 790 रकबा 2-10-00 बीघा एवं 859/790 रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 3-00-00 बीघा
3. क्षेत्रफल	0.48 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	शैक्षणिक (स्कूल) प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भूमि देवली नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 25.02.2003 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या 12 के दक्षिण-पश्चिम दिशा में होकर मौके पर रिक्त है। उक्त भूमि पर पहुंच मार्ग 60 फीट चौड़ा एप्रोच होना अंकित है। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दैनिक नवज्योति समाचार पत्र (पृष्ठ 13/सी) पर दिनांक 13.05.11 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.06.11 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्टिया कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या 12 के दक्षिण-पश्चिम दिशा में होकर मौके पर रिक्त है। उक्त भूमि पर पहुंच मार्ग 60 फीट चौड़ा एप्रोच होना अंकित है। मुख्य सड़क से खातेदारों द्वारा 60 फीट चौड़ी सड़क हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः 60 फीट सड़क की सुनिश्चिता स्थानीय स्तर पर की जानी होगी। भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, देवली एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्मा
दरिद्र नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 05 /डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/पुष्कर

शहर/कस्बे का नाम	पुष्कर
1. आवेदक का नाम	श्री मांगी लाल पुत्र श्री लोगाराम मेघवाल
2. खसरा नं०/भूखण्ड नं० मय ग्राम कालोनी	राजस्व ग्राम बांसेली के खसरा नं. 925मी., 1022/4 व 1022/1 मीन.
3. क्षेत्रफल	1.61 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लेण्ड यूज प्लान" में दर्शाया उपयोग	मास्टर प्लान-2011 अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र मास्टर प्लान-2031 अनुसार नर्सरी
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	रिसोर्ट प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :—	<p>1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पुष्कर के पत्र दिनांक 25.05.2011 अनुसार ग्राम बांसेली (पुष्कर) में लगभग 10 बीघा भूमि के रिसोर्ट प्रयोजनार्थ 90-ए किये जाने से पूर्व, राज्य सरकार से पूर्वानुमति हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>2. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 25.02.2011 अनुसार प्रश्नगत स्थल पुष्कर मास्टर प्लान-2011 के भू-उपयोग अनुसार परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में पुष्कर मास्टर प्लान-2031 लागू हो गया है एवं वर्तमान में लागू मास्टर प्लान-2031 अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग नर्सरी प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। मौके की रिपोर्ट अनुसार स्थल पर नर्सरी स्थित नहीं है एवं भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है। तथा विद्यमान 30 फीट पहुँच मार्ग की 60 फीट चौड़ाई रखे जाने हेतु खसरा नं. 1022 द्वारा निःशुल्क भूमि समर्पित किये जाने हेतु भू-स्वामी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (पृष्ठ 69/सी)</p> <p>3. विषयाधीन प्रकरण काफी पुराना है तथा पूर्व में प्रकरण की पत्रावली के पैरा 1/N अनुसार माननीय मंत्री महोदय के कार्यालय आई.डब्ल्यू. नं. 3650 दिनांक 12.12.2012 पर इन्द्राज है, लेकिन विभाग में वापस प्राप्त नहीं होने के कारण जानकारी करने पर बताया गया कि उक्त पत्रावली मंत्री महोदय कार्यालय से वापस जानी नहीं पायी जाती है और ना ही कार्यालय में वर्तमान में उपलब्ध हो रही है। संभवतया: पत्रावली राज्य सरकार के स्तर पर ही गुम होने के कारण उक्त क्रम में नगर पालिका पुष्कर द्वारा विषयाधीन प्रकरण की पत्रावली की प्रति प्रेषित कर पुनः पूर्वानुसार ही प्रकरण में अभिशंसा की गई है।</p> <p>4. आवेदक द्वारा नगर पालिका पुष्कर में दिनांक 24.05.2009 को रिसोर्ट प्रयोजनार्थ 90-ए की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया तथा आवेदक द्वारा दिनांक 05.01.2010 को 1 रुपया प्रति वर्ग गज की दर से आवेदन शुल्क जमा करा दिया गया था। प्रकरण में 2 समाचार पत्रों में आपत्तियां आमन्त्रित किये जाने हेतु आम सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति व राष्ट्रदूत में क्रमशः दिनांक 19.04.2010 व दिनांक 21.04.2010 को प्रकाशित करायी गई थीं तथा नियत तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी।</p> <p>5. कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन के पत्र (5/C) में प्रकरण में सशर्त रिसोर्ट प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किये जाने की अभिशंसा की गई है। कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन द्वारा जब प्रकरण में अभिशंसा की गई थी, तत्समय पुष्कर मास्टर प्लान-2011 अनुसार प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित थी तथा प्रचलित भवन विनियमों अनुसार प्रकरण में तकनीकी अनुमोदन वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन द्वारा किया गया था।</p>
8. प्रस्ताव :—	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 5 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रकरण का परीक्षण किया गया। प्रकरण में नगर पालिका के पत्र दिनांक 22.01.15 के अनुसार 60 फीट सड़क की चौड़ाई सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा वर्तमान में मौके पर भूमि का कृषि उपयोग किया जा रहा है। अतः भवन अनुसार रिसोर्ट हेतु न्यूनतम 1 हैक्टेयर भूमि आवश्यक है तथा न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़का मास्टर प्लान-2011 प्रभावी था एवं उक्त भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में आरक्षित थी। अतः तत्समय रिसोर्ट अनुज्ञेय भू-उपयोग में था। अतः उपरोक्त तथ्यों अनुसार वर्तमान परिपेक्ष्य में जबकि मास्टर प्लान-2031 लागू हो चुका है एवं प्रश्नगत भूमि नर्सरी हेतु आरक्षित भू-उपयोग में स्थित है। अतः प्रश्नगत भूमि का नर्सरी से रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने एवं 90-ए की कार्यवाही किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के नर्सरी से रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है :—</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि तक 60 फीट चौड़े मार्ग की सुनिश्चितता की जानी होगी। रिसोर्ट प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान का अनुमोदन प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार कराया जाना होगा। रिसोर्ट योजना में ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के प्रोत्साहन एवं ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

	का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
4.	रिसोर्ट योजना में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईविलंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।
5.	बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
6.	प्रकरण में नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लिया जाना होगा।
7.	भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षैत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।
8.	उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9.	उपरोक्त तथ्य, वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर व अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर से प्राप्त रिपोर्ट तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंसा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयकर्णीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 06 / डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/गंगापुर (भीलवाडा)

शहर कर्से का नाम	गंगापुर (भीलवाडा)
1. आवेदक का नाम	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री खाजूराम एवं बाल किशन पुत्र रामचन्द्र खटीक
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम गलोदिया की आराजी संख्या 215, 225 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर अर्थात् 10,800 वर्गमीटर
3. क्षेत्रफल	1.08 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गंगापुर (भीलवाडा) के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि हनुमानगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 31.05.12 से लागू है। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। प्रश्नगत स्थल गंगापुर से भीलवाडा को जाने वाली एस.एच. 12 के उत्तर में कॉलेज रोड के पूर्व दिशा में कॉलेज रोड से आवेदित स्थल तक जाने वाले राजस्व रास्ते पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मौके पर 30-40 फीट है।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गंगापुर (भीलवाडा) द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 03.08.13 को एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17.04.15 को प्रकाशित कराई गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गंगापुर (भीलवाडा) द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर के पत्र दिनांक 24.07.14 में आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन किये जाने से पूर्व भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही को अपेक्षित बताया गया है। उक्त क्रम में स्थानीय स्तर की भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 19. 03.13 द्वारा जिला नगर नियोजक द्वारा प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा करते हुए राज्य स्तरीय समिति में रखे जाने हेतु राय प्रेषित की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :—</p> <p>1. प्रश्नगत स्थल गंगापुर से भीलवाडा को जाने वाली एस.एच. 12 के उत्तर में कॉलेज रोड के पूर्व दिशा में कॉलेज रोड से आवेदित स्थल तक जाने वाले राजस्व रास्ते पर स्थित है। जिसका अतः राजस्व रास्ता आवेदित भूमि के मध्य में से गुजर रहा है। प्रार्थी द्वारा सड़क में आने वाली भूमि को निःशुल्क समर्पित किया जावेगा।</p> <p>2. योजना माननिक्रियों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बस्सरों का निर्माण किया जावेगा।</p> <p>3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।</p> <p>4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईकिलिंग एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।</p> <p>5. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी।</p> <p>6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>7. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।</p> <p>8. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>9. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, गंगापुर (भीलवाड़ा) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्मा
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 91 / डीएलबी / एसटीपी / एजेजेड / पुष्कर

	शहर कस्बे का नाम	पुष्कर
1.	आवेदक का नाम	श्री अनन्त प्रसाद ल. गनेरीवाल सोल ट्रस्टी रंगनाथ वैणीगोपाल मन्दिर पुराना
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 159, 270, 271, 273 की 5769 वर्गगज
3.	क्षेत्रफल	5769 वर्गगज
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिसंचरण उद्यान एवं खुला क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	वाणिज्यिक (वाणिज्यिक परिसर) प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि देवली नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिसंचरण उद्यान एवं खुला क्षेत्र में दर्शित है। प्रश्नगत प्रकरण को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.01.2001 में एजेण्डा आईटम नं. 17 में रखा गया था तथा भूमि का परिसंचरण उद्यान एवं खुला क्षेत्र से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय शतो के अध्याधीन लिया गया था जिनकी दो शर्ते निम्नानुसार है : -</p> <p>अ. नगर पालिका पुष्कर द्वारा इस क्षेत्र में एकत्रित होने वाले मकानों एवं वर्षा के पानी के समुचित निस्तारण हेतु नीरी या जन स्वास्थ्य विभाग जैसे संस्था से प्रोजेक्ट तैयार कराया जावे जिसका 50 प्रतिशत व्यय श्री गनेरीवाल द्वारा वहन किया जायेगा।</p> <p>ब. पानी के निस्तारण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिये गये प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत श्री गनेरीवाल द्वारा वहन किया जायेगा एवं उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यदि आवश्यक हो तो इनके द्वारा पूरणखण्ड की भूमि में से भू-पट्टी उपलब्ध कराई जाएगी।</p> <p>2. प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.07.2012 को प्रमुख शासन सचिव महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 18.01.2001 में एजेण्डा आईटम नं. 17 में उपरोक्त शर्त संख्या - ए और ब में निम्नानुसार संशोधन कराने का श्रम करें : - यह मन्दिर पूरा नाला बनाने का खर्च वहन करेगा एवं पानी की निकासी की जिम्मेदारी भी मन्दिर लेगा व इसमें लगाने वाला खर्च पूर्ण रूप से वहन करेगा।</p>
8.	प्रस्ताव :-	प्रार्थी द्वारा किये गये निवेदन अनुसार संशोधन किया जाना उचित होगा।

समिति का निर्णय :- प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशाषी अधिकारी, गंगापुर (भीलवाडा) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंखा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। अतः प्रकरण में वर्तमान में पुनः वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर के स्तर पर परीक्षण पश्चात् रिपोर्ट ली जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

आर. के. विजयवर्मा
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 92/डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/परबतसर

	शहर कर्से का नाम	परबतसर
1.	आवेदक का नाम	श्री प्रेमचन्द्र पुत्र श्री रामजीवण
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम पीपलाद के खसरा नं. 383, 384, 384/1
3.	क्षेत्रफल	0.2966 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	संस्थानिक (स्कूल) प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भूमि देवली नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 12.12.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग परबतसर से डोडियाना को जाने वाली सड़क पर स्थित है तथा प्रार्थी द्वारा मुख्य सड़क से आवेदित स्थल तक 60 फीट सड़क दर्शाइ गई है जो स्वयं आवेदक की भूमि का ही भाग है। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र पर दिनांक 18.12.2014 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.04.2015 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
8.	प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्टिया कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग परबतसर से डोडियाना को जाने वाली सड़क पर स्थित है तथा प्रार्थी द्वारा मुख्य सड़क से आवेदित स्थल तक 60 फीट सड़क दर्शाइ गई है जो स्वयं आवेदक की भूमि का ही भाग है। अतः 60 फीट सड़क की सुनिश्चित स्थानीय स्तर पर की जानी होगी। भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा। भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। <p>9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 93 / डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/पुष्कर

शहर कस्बे का नाम	पुष्कर
1. आवेदक का नाम	श्री रंगनाथ वेणी गोपाल मन्दिर पुष्कर न्यासी अनन्त प्रसाद ल. गनेरीवाल
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम बांसेली के खसरा नं. 262, 263, 264, 265, 266, 267
3. क्षेत्रफल	1.61 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भूमि देवली नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 01.08.14 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है। आवेदित भूमि पुष्कर से बांसेली ग्राम को जाने वाली सड़क पर पूर्व दिशा में स्थित है। मौके पर सड़क की चौड़ाई लगभग 24 फीट है। जिसे 80 फीट किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना प्रकाशित कराई गई। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.05.2013 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है। अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> आवेदित भूमि पुष्कर से बांसेली ग्राम को जाने वाली सड़क पर पूर्व दिशा में स्थित है। मौके पर सड़क की चौड़ाई लगभग 24 फीट है। जिसे 80 फीट किया जाना प्रस्तावित है। अतः 60 फीट सड़क की सुनिश्चित स्थानीय स्तर पर की जानी होगी। योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा एवं योजना में 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसेरों का निर्माण किया जावेगा। योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चित की जानी होगी। नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

समिति का निर्णय :- प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली, एजेण्डा बिन्दुओं, अधिशासी अधिकारी, गंगापुर (भीलवाडा) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा प्रेषित अभिशंषा एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं यह तथ्य नोट किया गया कि प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। अतः प्रकरण में वर्तमान में पुनः वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर के स्तर पर परीक्षण पश्चात् रिपोर्ट ली जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय वैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 96 /डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/परबतसर

	शहर कर्से का नाम	परबतसर
1.	आवेदक का नाम	श्री भवंरलाल पुत्र श्री हजारीराम
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम परबतसर के खसरा नं. 563
3.	क्षेत्रफल	2.30 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर के अनुसार वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि परबतसर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 12.12.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि परबतसर से रुनिजा को जाने वाली 60 फीट प्रस्तावित ग्रामीण सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क किशनगढ़ मैगा हाईवे से जुड़ी हुई है।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो समाचार पत्रों में पर दिनांक 18.02.2014 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.04.2015 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8.	प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मध्येजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्टिया कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि परबतसर से रुनिजा को जाने वाली 60 फीट प्रस्तावित ग्रामीण सड़क पर स्थित है। अतः सड़क के केन्द्र से 30 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सड़क हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगा।</p> <p>2. योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा।</p> <p>3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।</p> <p>4. योजना में अर्फोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी-2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र /राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसरों का निर्माण किया जावेगा।</p> <p>5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।</p> <p>6. योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चितता की जानी होगी।</p> <p>7. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>8. यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी।</p> <p>9. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>10. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

आर. के. विजयवर्गीय

लाल नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ
नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से
अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयकुमार
वरिष्ठ नगर नियोजक

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

एजेण्डा नं. 97 /डीएलबी/एसटीपी/एजेजेड/परबतसर

शहर कर्से का नाम	परबतसर
1. आवेदक का नाम	श्री रत्नसिंह पुत्र श्री भंवरलाल चौहान
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम परबतसर के खसरा नं. 1385 से 1390
3. क्षेत्रफल	2.56 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर के अनुसार वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भूमि परबतसर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 12.12.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। आवेदित भूमि हनुमानगढ़-किशनगढ़ मैगा हाईवे (राज्य राजमार्ग 7) पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना नागर नवज्योति में दिनांक 18.02.2014 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र "ब" में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। खसरा नं. 1389 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार गैर मुमकिन बैरा किस्म का है। वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.04.2015 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> खसरा नं. 1389 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार गैर मुमकिन बैरा किस्म का है। आवेदित भूमि हनुमानगढ़-किशनगढ़ मैगा हाईवे (राज्य राजमार्ग 7) पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के केन्द्र से 100 फीट में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा सड़क हेतु निःशुल्क समर्पित की जावेगा। योजना मानचित्रों का अनुमोदन टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के तहत नियमानुसार कराया जाना होगा। योजना में आन्तरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। योजना में अर्फेंडेल हाऊसिंग पॉलिसी-2009 के प्रावधानों के तहत EWS/LIG हेतु निर्धारित प्रतिशत के भूखण्ड/भूमि/फ्लैट्स आरक्षित रखे जाने होंगे। जिनका निस्तारण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। उक्त में से 300 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र के आवासहीन गरीब वर्ग को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। इस भूमि पर नगरीय निकाय द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से रेन बसरों का निर्माण किया जावेगा। योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। योजना के आन्तरिक विकास की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी तथा टाऊनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार आन्तरिक विकास के समस्त मानदण्डों की सुनिश्चिता की जानी होगी। नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी। यह स्वीकृति केवल भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दी जानी प्रस्तावित है। अतः नियमानुसार 90-की प्रक्रिया अपनाकर भूमि की नियमन/आवंटन अनुज्ञा जारी की जानी होगी। भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, परबतसर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर की	

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की
द्वितीय बैठक दिनांक 30.04.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ
नगर नियोजक की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से
अनुमोदित किया गया।

आर. के. विजयवर्गीय
वरिष्ठ नगर नियोजक